

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
9वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली


विधायक का नाम : श्री जगदीश प्रधान

दिनांक : 27.02.19

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 135

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	सरकार द्वारा अनाधिकृत कॉलोणियों को नियमित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?	शहरी विकास विभाग (अनाधिकृत कॉलोनी शाखा) दिल्ली सरकार द्वारा अनाधिकृत कॉलोणियों के नियमितकरण के लिए संशोधित नियमावाली भारत सरकार के शहरी एवं आवासन मंत्रालय के पास लम्बित है। नियमितकरण की प्रक्रिया इस सम्बन्धित नियमावाली के अनुमोदन के बाद की जायेगी।
ख	केन्द्र सरकार इन कॉलोणियों के नियमितकरण करने के लिए किस प्रकार का और क्या सहयोग सरकार को मिला है, और	शहरी विकास विभाग (अनाधिकृत कॉलोनी शाखा) केन्द्र सरकार ने अपने पत्रों दिनांक 15.09.2016 एवं 19.09.2016 के माध्यम से दिल्ली सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है। दिल्ली सरकार द्वारा यह जानकारी इकट्ठी करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। केन्द्र सरकार इसके लिए छ. मिटिंग भी कर चुकी है, जिसमें दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया गया था।
ग	दिल्ली सरकार कब तक इन कॉलोणियों को अंतिम रूप से नियमित करेगी?	शहरी विकास विभाग (अनाधिकृत कॉलोनी शाखा) प्रश्न 'क' के अनुसार।


 Section Officer (Admin.)
 Urban Development Deptt.
 Govt. of NCT of Delhi
 Bala Sect., New Delhi